संख्या- 99/2015/1519/22-4-14-48(70)/94टीसी-8

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक-15 अप्रैल, 2015

विषय- निर्माणाधीन जिला कारागार, बरेली के पुनरीक्षित आगणन की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-36258/नम-2, दिनांक- 03 दिसम्बर, 2014 के सन्दर्भ में तथा शासनादेश संख्या-215/22-4-10-48(70)/94टी0सी0-8, दिनांक 15.02.2010 के क्रम मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय निर्माणाधीन जिला कारागार, बरेली के अवशेष कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु प्राप्त पुनरीक्षित आगणन, जिसकी अनुमोदित लागत रू0 2,23,92,56,000/- (रूपया दो अरब तेईस करोड़ बान्नवे लाख छप्प्न हजार मात्र) है, की पुनरीक्षित प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) प्रशनगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप महानिरीक्षक कारागार द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(3) प्रायोजनान्तर्गत कतिपय कार्यमदों यथा किचेन उपकरण, फर्नीचर, हैण्ड मेटल डिटेक्टर, मल्टीजोन फ्रेम डिटेक्टर,आन लाइन यू0पी0एस0, एक्स-रे मशीन, कैपीसेंटर पैनल, कन्ट्रोल सिस्टम, गार्ड टूल सिस्टम, सीसीटीवी, एच0टी0 पैनल/एल0टी0 पैनल, डीजी सेट, सब स्टेशन उपकरण, ईपीबीएक्स सिस्टम आदि की लागत बजटरी आफर/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। अतः इन मदों के क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। उक्त कार्य प्रोपराइटरी श्रेणी के कार्य हैं एंव इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः महानिरीक्षक कारागार से यह अपेक्षा है कि निर्माण के समय क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर ही किया जायेगा।

(4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की द्रष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिरीक्षक कारागार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(5) आगणन का परीक्षण प्रस्तावित विशिष्टियों एंव कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्वि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तुपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) चालू कार्य के रूप में स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(8) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(9) अनुमोदित कार्यो की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्रांइग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्वि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव महानिरीक्षक कारागार द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(10) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी महानिरीक्षक कारागार की होगी तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।

(11) महानिरीक्षक कारागार द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्यिां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(12) पुनरीक्षित आगणन के आधार पर अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(13) प्रायोजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 15.02.2010 की शेष शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

2- प्रायोजना के पुनरीक्षित आगणन के मूल्यांकन से सम्बन्धित टिप्पणी की छायाप्रति संलग्न है।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-08-कारागार का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/ मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12- 547/दस-2015, दिनांक- 10 अपैल, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या-99/2015/1519(1)/22-4-14-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।

(4) जिलाधिकारी, बरेली।

(5) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in